

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

पत्रांक .....

पटना, दिनांक.....

सं०सं०- 03/उ०नि०/प्रशिक्षण (TRTC)-02-12/2018

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक),  
बिहार, पटना।

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत टूल रूम ट्रेनिंग सेन्टर, (TRTC) पटना, बिहार राज्य के 605 (छः सौ पाँच) बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में 600 घंटे का आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹2,99,11,200.00 (दो करोड़ निन्नावें लाख ग्यारह हजार दो सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत टूल रूम ट्रेनिंग सेन्टर (TRTC) पटना, बिहार राज्य के 605 (छः सौ पाँच) बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न ट्रेडों में 600 घंटे का आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹2,99,11,200.00 (दो करोड़ निन्नावें लाख ग्यारह हजार दो सौ रुपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की है।

(2) उक्त स्वीकृत राशि का व्यय TRTC पटना के पत्र सं०-TRTC/PAT/उद्योग विभाग/18-19/205 दिनांक-30.11.2018 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अनुरूप किया जाएगा।

(3) प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान संस्थान को BSDM श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या 463 दिनांक 30.06.2017 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के आलोक में किया जाएगा।

(4) आवासन हेतु संस्थान को BSDM के दर 200 रूपया प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से भुगतान किया जाएगा।

(5) संस्थान को थर्ड पार्टी एसेसमेंट BSDM के अधिकृत एजेंसी से कराना होगा।

(6) उपर्युक्त आवासीय प्रशिक्षण सर्टिफिकेट कोर्स Certificate Course in Tool & Die Making, Certificate Course on CNC Milling, Certificate Course on CNC Lathe, Certificate Course on Advance Welding Technology, AC & Fridge Repairing में दिया जाएगा।

(7) उक्त योजना अन्तर्गत कुल प्रशिक्षणाधियों की संख्या का कम से कम 70-75% का नियोजन/स्वनियोजन, TRTC पटना द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। नियोजित व्यक्तियों को एक साल तक ट्रेकिंग किया जाएगा तथा प्रतिवेदन BSDM के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(8) प्रशिक्षण हेतु राशि की स्वीकृति BSDM के पत्रांक-986 दिनांक-30.11.2017 द्वारा निर्धारित कॉस्ट कटैगरी के अनुसार की जाएगी। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चिन्हित ट्रेड में BSDM के अनुसार इन्टरमिडिएट/आई०टी०आई० उत्तीर्ण युवक/युवतियों का चयन किया जाएगा।

क्रमशः पृष्ठ-02 पर..

(9) राशि का व्यय वहन निम्नरूपेण किया जाएगा :-

क्र०स०	बजट शीर्ष का नाम	स्वीकृत राशि
i.	मुख्य शीर्ष 2852- उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102 औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष 0135-इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, मांग सं०-23 विपत्र कोड 23-2852801020135, के विषय शीर्ष-0135.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित	₹1,97,26,560.00
ii.	मुख्य शीर्ष 2852- उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 0102- इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, मांग सं०-23 विपत्र कोड 23-2852807890102, के विषय शीर्ष-0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित	₹89,98,080.00
iii.	मुख्य शीर्ष 2852- उद्योग, उप मुख्यशीर्ष-08-उपभोगता उद्योग, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष 0101-आर्थिक सहायता, मांग सं०-23 विपत्र कोड 23-2852087960101 के विषय शीर्ष-0101.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबंधित	₹11,86,560.00
<b>कुल राशि :-</b>		<b>₹2,99,11,200.00</b>

(दो करोड़ निम्नाने लाख ग्यारह हजार दो सौ रुपये) मात्र

(10) स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक, लेखा, उद्योग निदेशालय, पटना होंगे, जो नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी BTC फार्म 46 पर कर उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना के P.L.A-277 में उपलब्ध करायेगें तथा जो समय-समय पर उद्योग निदेशक द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में संबंधित टूल रूम ट्रेनिंग सेन्टर (TRTC), पटना को भुगतान किया जाएगा।

(11) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना उक्त कार्यक्रम का क्रियान्वयन/नोडल पदाधिकारी होंगे। जिनके द्वारा टूल रूम ट्रेनिंग सेन्टर (TRTC), पटना से MOU किया जाएगा।

(12) स्वीकृत राशि में से 30 प्रतिशत राशि का व्यय जेंडर बजट में की जाएगी।

(i) प्रशिक्षण शुल्क का 30 प्रतिशत भुगतान- एक तिहाई प्रशिक्षण अवधि अथवा प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाने के एक माह बाद एवं अच्छादित अवधि में 80 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर भुगतेय।

(ii) प्रशिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत भुगतान-प्रशिक्षण समाप्त होने एवं अधिकृत एजेंसी से एसेसमेंट उत्तीर्ण आवेदको के आधार पर भुगतेय।

(iii) प्रशिक्षण शुल्क का 10 प्रतिशत भुगतान-50प्रतिशत नियोजन/स्वनियोजन के बाद भुगतेय।

(iv) प्रशिक्षण शुल्क का 10 प्रतिशत भुगतान-12 माह तक नियोजितो के ट्रेकिंग के बाद भुगतेय।

(13) इस योजना के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे। वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।

(14) स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड अंकित करेंगे।

(15) प्रस्ताव पर प्रधान सचिव उद्योग विभाग का अनुमोदन संचिका सं०सं०-03/उ०नि०/ प्रशिक्षण (TRTC)-02-12/2018 के पृष्ठ 07/टि० पर दिनांक-31.12.2018 को प्राप्त है। जिसका गै०स०प्रे०सं०-3282/IDC दिनांक-20.12.2018 हैं।

(16) राज्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं०सं०-03/उ०नि०/ प्रशिक्षण (TRTC)-02-12/2018 के पृष्ठ 09/टि० पर दिनांक-04.01.2019 को प्राप्त है। जिसका डायरी सं०-5/IFA दिनांक-02.01.2019 है।

क्रमशः पृष्ठ-03 पर...

(17) राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-8003 वि० (2) दिनांक-18.09.2008 में निहित पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 की कंडिका- 2 एवं 15 एवं पत्रांक-2938 वि० (2) दिनांक-08.04.08 के आलोक में किया जायेगा, तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) वित्त विभागीय पत्रांक-7355/वि(2) दि०-05.10.2007 के आलोक में स्वीकृत राशि के निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह०/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक .....

ज्ञापांक ...../

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक .....

ज्ञापांक ...../

प्रतिलिपि :- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक .....

ज्ञापांक ...../

प्रतिलिपि :- टूल रूम ट्रेनिंग सेन्टर (TRTC), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 21/11

ज्ञापांक 118 ...../

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग/मिशन निदेशक BSDM पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/आय-व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/ उप उद्योग निदेशक, (योजना) उद्योग विभाग बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 (स०), (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को एवं प्रशाखा-03, उद्योग निदेशालय/आई०टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।